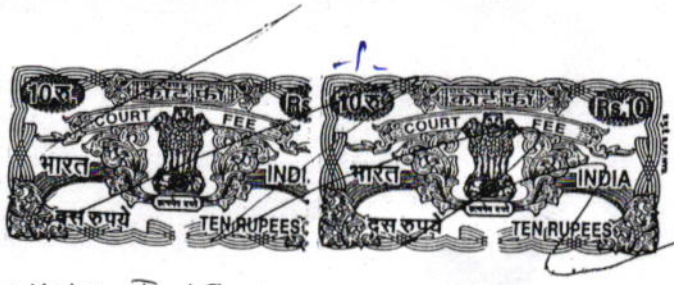

निगरानी 1440-I-15

न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

केम्प भोपाल (म0प्र0).

प्रकरण क्रमांक : /निगरानी/2014-15

प्यारेलाल पुत्र श्री कालूराम जातिमीणा
आयु 75 साल निवासी ग्राम बागोद
तहसील व जिला विदिशा (म0प्र0).

--- निगरानीकर्ता

- बनाम -

(1) मध्यप्रदेश शासन

(2) मेहताब पुत्र श्री देवीराम आयु 65 साल

(3) कस्तूरीबाई पत्नि मेहताबसिंह आयु 60 साल

(4) मिश्रीलाल पुत्र कालूराम आयु 62 साल

(5) घिसियाबाई पत्नि मिश्रीलाल आयु 60 साल

(6) लक्ष्मन पुत्र श्री मिश्रीलाल आयु लगभग 44 साल

(7) हल्कीबाई पत्नि श्री लक्ष्मन आयु लगभग 42 साल

(8) हरीसिंह पुत्र श्री मोहन आयु 65 साल

(9) मोहरबाई पत्नि श्री हरीसिंह आयु 62 साल

(10) वंशी पुत्र श्री कालूराम आयु 62 साल

समस्त जाति अहिरवार समस्त निवासीगण
ग्राम बागोद तहसील व जिला विदिशा.

--- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता बाबत जारी आदेश दिनांक 16-03-2015 प्रकरण क्रमांक 54/अ-3/13-14 वमामले मेहताबसिंह आदि - बनाम - मध्यप्रदेश शासन, न्यायालय माननीय अतिरिक्त तहसीलदार महोदय, विदिशा (म0प्र0).

श्री रमेश सक्सेना अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 15/5/15 को प्रस्तुत।
15/5/15
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

माननीय महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है -:

1- यह कि, आवेदकगण इस प्रकरण के प्रतिप्रार्थीगण की ओर से ग्राम बागोद पटवारी हल्का नंबर-28 तहसील व जिला

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1440–एक/15 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.8.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार, विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 54/अ–3/13–14 में पारित आदेश दिनांक 16–3–2015 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है । 2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2, 4, 6, 8 एवं 9 अन्य द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का आवेदन पेश किया गया है कि प्रार्थीगण को ग्राम बागोद पटवारी हल्का नंबर 28 तहसील व जिला विदिशा स्थित विवादित आराजियों का पट्टा शासन द्वारा दिया गया था जब से वे निरंतर काबिज हैं अतः आवेदन में वर्णित भूमियों में बटान कायम किए जाने के आदेश प्रदान किये जायें । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की एवं पटवारी को फर्द बटान पेश करने के आदेश दिए । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति पेश की गई । आलोच्य आदेश द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति निरस्त करते हुए संहिता की धारा 178 के तहत पटवारी द्वारा प्रस्तुत नक्शा बटांक प्रस्ताव प्रदर्श पी–1 के अनुसार स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क पेश करने हेतु 10 दिवस का समय चाहा गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित	

-3-

निगरानी 1440-I/15 (विदिशा)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । 4/ अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय है । 5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अंतिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अंतर्गत प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के यहां किए जाने का प्रावधान है । संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रतिबंधित है । ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है । आवेदक सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतत्र है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	